प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3— निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
4— समस्त, मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

पत्रांक : महानिदे0 / /(1)/X(6)/2013—14 दिनांक :27-11- 2013

विषय : विद्यालयी व्यवस्था संचालन के सम्बन्ध में व अन्य आवश्यक निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि विगत निरीक्षणों में यह स्थिति दृष्टिगत हुई है कि बड़ी संख्या में शिक्षक/कर्मचारी, अनुपस्थित/शासकीय कार्य से विद्यालयों में उपस्थित नहीं मिले। इस सम्बन्ध में पूर्व निर्देशों के क्रम में आपको निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:—

1— यदि विद्यालय में कोई शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मी अनुपस्थित पाया जाता है तो इसके लिए सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे।

2— उक्तवत् ही यदि विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अनुपस्थित पाये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3— विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अपने मुख्यालय/विकासखण्ड में उपस्थित रहेंगे व नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के बाद ही विकासखण्ड छोड़ेंगे।

4— मुख्य शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों की समीक्षा करेंगे व निरीक्षण आख्या में इंगित कमियों पर अपने स्तर से कार्यवाही कर उनका निस्तारण करेंगे।

5— खेलकूद/अन्य विद्यालयी कार्यों से यदि किसी अध्यापक को कहीं अन्यत्र भेजा जाना है तो सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य इस हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेंगे।

6— प्रदेश/मण्डल/जनपद/विकासखण्ड स्तर पर तैनात विभागीय अधिकारी निम्न विवरणानुसार अपना भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदित कराने/अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ेंगे:—

क्र0 सं0	अधिकारी का पदनाम	भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदनकर्ता अधिकारी का पदनाम
01	निदेशक, (माध्यमिक/प्रारम्भिक /अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण)	महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
02	मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

अविरल_2_पर

03	मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
04	मुख्य शिक्षा अधिकारी	मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
05	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड
06	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	मुख्य शिक्षा अधिकारी
07	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	मुख्य शिक्षा अधिकारी
08	खण्ड शिक्षा अधिकारी	मुख्य शिक्षा अधिकारी

उक्त के क्रम में पुनः आपको निर्देशित करना है कि कृपया दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त भी यदि किसी स्तर पर लापरवाही दृष्टिगत होती है तो इसके लिए सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीया

(राधिका झा)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : महानिदे0 / 5777-90 / (1) / X(6) / 2013–14 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।
3– अपर निदेशक, (माध्यमिक / प्रारम्भिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– अपर निदेशक, (माध्यमिक / प्रारम्भिक) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

(राधिका झा)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड